प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद–461 005 (म.प्र.)
(भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई)
भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन
मिनीरत्न श्रेणी – I सीपीएसई एवं आई.एस.ओ. 9001 : 2008 एवं आई.एस.ओ. 14001 : 2004 प्रमाणित

RIGHT TO INFORMATION

SECURITY PAPER MILL , HOSHANGABAD - 461 005 (M.P.)
(A Unit of Security Printing & Minting Corporation of India Ltd.)
Wholly owned by Government of India
Miniratna Category - I CPSE & ISO 9001 : 2008 & ISO 14001 : 2004 CERTIFIED

▸ Tel. No. : 07574 - 255259 ▸ Fax No. : 07574 - 255170 ▸ E-mail : gm_spm@yahoo.co.in ▸ Website : http://spmhoshangabad.spmcil.com

// सूचना क्रमांक : 22 //

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, मुख्यालय, नई दिल्ली से पत्र क्र. भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/149/12(खण्ड-।।।)/1454 दिनांक 09.06.2014 प्राप्त हुआ है, जो कि उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करने एवं माल प्राप्ति वाउचर बनाने में असामान्य देरी के संबंध में, खरीद पुस्तिका में दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने से संबंधित हैं ।

उक्त पत्र की छायाप्रति इस सूचना पत्र के साथ, सभी संबंधितों के सूचनार्थ एवं पालनार्थ संलग्न है ।

अभिषेक 16/6
(अभिषेक श्रीवास्तव)
सहा. प्रबन्धक (मा.सं.) एवं
कार्यालय अध्यक्ष

क्रमांकः प्रशा./1(5)/सूचना/1573

दिनाँकः 16.06.2014

प्रतिलिपिः-

1. महाप्रबन्धक, प्रकाका, होशंगाबाद को सूचनार्थ ।
2. उप महाप्रबन्धक, प्रकाका, होशंगाबाद को सूचनार्थ ।
3. समस्त अधिकारी, प्रकाका, होशंगाबाद ।
4. समस्त सूचना पटल, प्रकाका, होशंगाबाद ।
5. सतर्कता अनुभाग/ हिन्दी सेल/ रक्षा पंजी ।

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
Security Printing and Minting Corporation of India Limited
मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/149/12 (खण्ड III)/1454. दिनांक 06.06.2014
SPMCIL/VIG/149/12 (Vol. III)/ Date: 06.06.2014

परिपत्र/Circular

विषय/Sub: उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करने एवं माल प्राप्ति वाउचर बनाने में असामान्य देरी।/Abnormal delay in issuing suitability certificate and preparing Goods Receipt Voucher (GRV).

एक इकाई के सामग्री, निविदा, बिल भुगतान की प्रक्रिया, इत्यादि के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा एक मामले में उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करने एवं तदपश्चात् माल प्राप्ति वाउचर बनाने में तीन माह एवं एक अन्य मामले में नौ माह की असामान्य देरी पाई गई। इससे बढ़कर, यह खरीद-पुस्तिका (संस्करण 1.0, 2011) की धारा 11.4 का उल्लघंन है तथा इसमें सतर्कता दृष्टिकोण होना भी अपेक्षित है।

During surprise inspection of stores, procurement, process of bill payment, etc by the Vigilance Department in one of the unit, it was observed that there was abnormal delay of three months in one case and nine months in another case for issuance of suitability certificate and preparing Goods Receipt Voucher subsequently. Moreover, this dealy violates clause 11.4 of Procurement Manual (version 1.0, 2011) and also tantamount to presence of a Vigilance angle.

2. इस संदर्भ में, सभी संबंधितों को एतद् द्वारा यह सलाह दी जाती है कि भविष्य में सभी प्रापण तथा उससे संबंधित उपयुक्तता, जी.आर.वी., भुगतान/कटौता आदि की उचित कार्रवाई निर्धारित समयावधि में किसी भी असामान्य देरी के बिना करना सुनिश्चित करें।

2. In this regard, all concerned are hereby advised to ensure that appropriate action on all future procurements & its corresponding suitability, GRV, payment/deduction etc is completed within stipulated period of time without any inordinate delay.

- पृष्ठ संख्या 2 पर जारी - / - Contd. at Page 2 –

011-23701225-26
011-43582200
16वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली - 110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110001
फैक्स/Fax : 011-23701223
E-mail : spmcil@rediffmail.com

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/149/12 (खण्ड III)/1454
SPMCIL/VIG/149/12 (Vol. III)/

दिनांक 06.06.2014
Date: 06.06.2014

3. सभी संबंधितों को एतद् द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वह यह सुनिश्चित करें कि इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। यदि भविष्य में इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन जारी रहता है तो इसे प्रथम दृष्टया दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंधन माना जाएगा तथा इसे सतर्कता की दृष्टि से देखा जाएगा।

3. These guidelines may be noted and followed by all for strict compliance. If these guidelines continue to be flouted in future it will prima-facie indicate a clear violation of guidelines and may invite a vigilance angle.

4. इस परिपत्र का व्यापक प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की वेबसाईट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।

4. The widest possible publicity should be given to this circular and all concerned should be informed. It should also be uploaded on the website of the unit & displayed on the sectional notice board.

(ए. के. झा, भा.पु.से.)/(S. K. JHA, IPS)
मुख्य सतर्कता अधिकारी/CVO

महाप्रबंधक/The General Manager,
टकसाल/मुद्रणालय/कागज़ कारखाना/नि.मु./Mints/Presses/Paper Mill/CHO,
भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि.।

- पृष्ठ संख्या 3 पर जारी - / - Contd. at Page 3 –

4

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/149/12 (खण्ड III)/ 1454. दिनांक 06.06.2014
SPMCIL/VIG/149/12 (Vol. III)/ Date: 06.06.2014

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक।/CMD.
2. निदेशक (मा.सं./तक.)/मु.स.अ.।/Director (HR/Tech)/CVO.
3. अपर महाप्रबंधक (वित्त)।/Addl. GM (Finance).
4. उप महाप्रबंधक (नि.मु.)/उप मु.स.अ.।/DGMs (CHO)/Dy. CVO.
5. प्रबंधक (नि.मु.)।/Managers (CHO).
6. सभी सतर्कता अधिकारी (नि.मु./इकाइयां)/All Vigilance Officials (CHO/units).
7. सूचना पटल एवं वेबसाइट।/Notice Board & Website.